महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

[redacted] ई–निविदा क्रमांक 10484 / 31/10/2026

विभिन्न प्रपत्रों एवं लिफाफों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा

अनुमानित लागत : 40 लाख

आवश्यक टिप्पणी :– निविदाकार को निविदा में अपनी दर देते समय इन शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये।

1. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (डाउनलोड करने की) समयावधि :-

02-11-26 प्रात: 10:00 बजे से 16-11-26 को अपरान्ह : 01:00 बजे तक ।

2. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र/बिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने की समयावधि :-

06/11/26 प्रात: 10:00 बजे से 16-11-26 को अपरान्ह: 01:00 बजे तक ।

3. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र की तकनीकी बिड के खोलने की तिथि व समय :- 16-11-26 को अपरान्ह: 03:00 बजे से। वित्तीय बिड खोलने की तिथि अलग से सूचित की जायेगी।

4. विभिन्न प्रपत्रों, लिफाफों एवं अन्य मुद्रण कार्य (वस्तु का नाम जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा।

5. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता

 (मय दूरभाष न. एवं मो. न.)

6. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण प्रमाण एवं GST प्रमाण पत्र

7. निविदा उन फर्मो/व्यवसायियों की ही मान्य होगी, जो निविदा में उल्लेखित सामग्री क्रय करने के लिये जीएसटी की सम्बन्धित श्रेणी में रजिस्टर्ड/अनुमोदित क्रेता हो। जिसका जीएसटी प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।

8. फर्म के प्रोपराइटर पहचान पत्र संलग्न करें।

9. किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

10. किनको सम्बोंधित किया गया है :– वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

11. हम.....द्वारा जारी कि गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा सलंग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

प्रपत्र–अ में कागज रहित मुद्रित किय जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों की प्रति हजार की दर अंकित की जानी चाहिए।

प्रपत्र–ब में कागज की प्रति नग की दर अंकित की जानी चाहिए

प्रपत्र–स डिजिटल प्रिंन्टिग की दर प्रति नग कागज सहित अंकित की जानी चाहिए।

प्रपत्र–द में लिफाफे सहित मुद्रित किये जाने वाले विभिन्न लिफाफों की प्रति नग दर अंकित की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रपत्र अ,ब,स एवं द में दर समस्त कर एवं एफ ओ आर सहित समस्त प्रपत्रों में अपनी दरें अंकित की जानी आवश्यक होगी, समस्त दरें अंकित नहीं करने पर प्राप्त निविदा पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।

12. ऊपर उद्धृत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढाया भी जा सकेगा।
13. बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक संख्या.....जो (बैक का नाम) पर आहरित किया गया है। नगद राशि संख्या/चालान संख्यादिनांक..... रूपयेके लिए बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
14. वित्तीय बिड ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है। तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करने पर निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
15. निविदा की शर्तों के संबंध में कोई सुझाव हो तो दिनांक 05-11-26 समय 05 P.M. तक अपने सुझाव स्टोर अनुभाग की ई मेल Storemgsu@gmail.com पर फर्म के लैटर हैड पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त कोई सुझाव स्वीकार नहीं किया जावेगा।
16. इस अनुबन्ध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के सम्बन्ध में कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 की समस्त धारा, नियम व परिपत्र लागू होंगे।
18. कार्यादेश देने की दशा में कार्यादेश से पूर्व क्रय समिति अथवा क्रय समिति द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा न्यूनतम दरदाता फर्म की कार्य क्षमता व संसाधन की पुष्टि हेतु फैक्ट्री का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

तकनीकी रूप से पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं

1. फर्म का गत पांच वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर (2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में से किन्ही तीन वर्षों में वार्षिक टर्नओवर प्रत्येक वर्ष का निविदा की राशि का औसतन न्यूनतम 50 प्रतिशत होना आवश्यक है, जो कि सी.ए. द्वारा अंकेक्षित हो। बिना टर्नओवर प्रमाण पत्र के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। साक्ष्य अपलोड करें।
2. निविदा में भाग लेने वाली फर्म के पास गत पांच वर्षों (2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में से किन्हीं तीन वर्षो में मिलाकर, कार्य अनुभव निविदा की राशि के 50 प्रतिशत के बराबर होना आवश्यक है, जो कि सेवा/कार्य राजकीय/केन्द्रीय विभाग/स्वायत्तषाशी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों में संपादित किया हुआ होना चाहिए। बिना कार्यानुभव प्रमाण पत्र मय राशि के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। साक्ष्य अपलोड करें।
3. फर्म को संलग्न प्रारूप पर किसी भी राजकीय कार्यालय, उपक्रम, स्वायत्तषाशी संस्थाओं में ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने एवं वैधानिक कार्यवाही नहीं होने का शपथ पत्र रू. 100/– के स्टाम्प पर अपलोड करना होगा एवं भौतिक रूप से मूल शपथ पत्र विश्वविद्यालय में निविदा की अंतिम तिथि तक जमा करवाना होगा।
4. संलग्न प्रारूप पर निविदा की सभी शर्तें स्वीकार्य हेतु रू. 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्ष्य अपलोड करना होगा एवं भौतिक रूप से मूल, निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा।
5. फर्म को 50 रू के स्टाम्प पर 'अनुलग्न ब' की घोषणा करनी है, मूल शपथ पत्र निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा।
6. धरोहर राशि रू. 80,000/–, निविदा फीस रू. 500/– (वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में बीकानेर में देय) व ई–प्रोसेसिंग फीस रू. 500/– (MD, RISL, Jaipur को जयपुर में देय) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से तय अवधि दिनांक 16/11/26 को दोपहर 01:00 बजे तक विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग में जमा करवाने होंगे।
7. निविदा में वांछित दस्तोवज जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय तक सम्बन्धित कागज/शीट के नमूने भौतिक रूप से जमा करवाने होंगे।
8. निविदा प्रपत्र के साथ स्वयं की प्रेस होने का प्रमाण पत्र (प्रेस डिक्लेरेशन) अपलोड करना आवश्यक है।
9. सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों की स्व हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील लगी हुई प्रति अपलोड करनी होगी।

10. अधिकतम मदों में न्यूनतम दरदाता को निगोशिएसन हेतु आमंत्रित किया जा सकता हैं।
11. निविदा में अनुमानित लागत से कम या अधिक राशि का कार्य/सामग्री ली जा सकती है। अनुबंध अवधि के दौरान दर्शायी गयी राशि अनुमानित है।
12. निर्धारित निविदा की राशि पूर्ण होने पर RTPP नियमानुसार निविदा की राशि के 50 प्रतिशत के बराबर एवं समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
13. फर्म को संबंधित श्रेणी का जीएसटी प्रमाण पत्र निविदा में अपलोड करना आवश्यक होगा।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

वित्तीय बिड

प्रिंटिंग दर प्रति हजार प्रपत्र–अ

1. Perofarting Charges, Numbring Charges And Binding Charges का कार्य जहां आवश्यक हो निम्नांकित दरों में ही करना होगा, इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा अतः दरें, इन कार्यों को शामिल मानते हुऐ अंकित करें।
2. प्रस्तुत दरें प्रति हजार की दरे हैं, जो आगामी एक हजार के लिए भी इसी प्रकार मान्य होगी। अर्थात आगामी हजार के लिए भी यही दर देय होगी।
3. एक हजार से कम तादाद होने पर भी प्रिंटिग चार्ज एक हजार प्रपत्र का देय होगा।
4. प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित होगी अर्थात किसी प्रकार का GST या कर अलग से देय नहीं होगा।
5. **प्रस्तुत दरें कागज रहित होगी**। कागज की दरें अलग से प्रपत्र–ब पर अंकित करनी होगी, कागज की दरों के अभाव में आपकी दरों पर विचार नहीं किया जावेगा क्योंकि तुलनात्मक विवरण कागज की दरों सहित तैयार होगा।
6. प्रिटिंग की दरें अंकित करने वाले दर दाता की ही कागज की दरे स्वीकार्य होगी केवल कागज की दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।

S. No	Item	17x27/2	17x27/4	17x27/6	17x27/8	17x27/12	18x22/2	18x22/4	18x22/6	18x22/8	18x22/12	20x30/2	20x30/4	20x30/5	20x30/6	20x30/8	20x30/12
1	One Side Single Colour Printing Per Thousand																
2	Both Side Single Colour Printing Per Thousand																
3	One Side Double Colour Printing Per Thousand																
4	Both Side Double Colour Printing Per Thousand																
5	One Side Multi Colour Printing Per Thousand																
6	Both Side Multi Colour Printing Per Thousand																
7	Binding Charges Hard Bounded with Paper Rexign Per Register (Per Pad 100 Paper inA Pad)																
8	Binding Charges Fevicol Pad (Per Pad 100 Paper inA Pad)																

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

कागज की दर प्रति नग (प्रपत्र–ब)

1. कागज की दरें निम्नांकित साईज के अनुसार प्रति नग की प्रस्तुत करें।
2. प्रिंटिंग की दरें प्रस्तुत करने वाली फर्म को ही दरें प्रस्तुत करनी हैं, केवल पेपर की दर प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य नहीं होगी।
3. प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित होगी अर्थात किसी प्रकार का GST या कर अलग से देय नहीं होगा।

	Item	17x27/2	17x27/4	17x27/6	17x27/8	17x27/12	18x22/2	18x22/4	18x22/6	18x22/8	18x22/12	20x30/2	20x30/4	20x30/5	20x30/6	20x30/8	20x30/12
1	White Paper 58 GSM																
2	Executive Bond Paper 80 GSM																
3	White Maflito Paper 80 GSM																
4	Colour Maflito 80 GSM																
5	White Paper 120GSM																
6	Art Paper 130 GSM																
7	Art Card 300 GSM																

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

डिजिटल प्रिंटिग की दर प्रति नग कागज सहित (प्रपत्र–स)

1. कृपया निम्नांकित साईज की सीट्स पर 60 जी एस एम से 250 जीएसएम के पेपर पर प्रति नग की दर अंकित करें।
2. प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित होंगी अर्थात किसी प्रकार का GST या कर अलग से देय नहीं होगा।

Certificate And other Printing			
	Item	**12x18**	**12x9**
A	**Digital Printing**		
1	One Side Single Colour Per Pkt (With 60 to 250 GSM Paper)		
2	Both Side Single Colour Per Pkt (With 60 to 250 GSM Paper)		
3	One Side Double Colour Per Pkt (With 60 to 250 GSM Paper)		
4	Both Side Double Colour Per Pkt (With 60 to 250 GSM Paper)		
5	One Side Multi Colour Per Pkt (With 60 to 250 GSM Paper)		
6	Both Side Multi Colour Per Pkt (With 60 to 250 GSM Paper)		

प्रति नग– (प्रपत्र–द)

1. उपरोक्त दरें समस्त कर सहित प्रति नग की होगी अर्थात किसी प्रकार का GST या कर अलग से देय नहीं होगा।

S.No.	Item Name	Size of envelope	White (Sunshine) 100 Gsm.	Window White (Sunshine) 100 Gsm.	Craft 100 Gsm.	Window Craft 100 Gsm.	Ledger Paper 120 Gsm. Clothline
1	Single Colour Printed Belly Envelope	15"x12"x4"					
2	Single Colour Printed Envelope	15"x12"					
3	Single Colour Printed Envelope	14"x10"					
4	Single Colour Printed Envelope	12"x10"					
5	Single Colour Printed Envelope	11"x6"					
6	Single Colour Printed Envelope	10"x4.5"					
7	Single Colour Printed Envelope	9"x4"					
8	Single Colour Printed Envelope	7"x3.25"					
9	Single Colour Printed Envelope	13"x8"					
10	Single Colour Printed Envelope	13"x4"					

नोटः उपरोक्त प्रारूप केवल उदाहरण स्वरूप हैं, दरें बीओक्यू के एक्सेल में निर्धारित वित्तीय बिड में ही भरनी होगी। उक्त प्रारूप तकनीकी बिड में दरें भरकर अपलोड करने पर निविदा अमान्य होंगी।

विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम मुद्रण एवं आपूर्ति :

1. पाठ्यक्रम मुद्रण के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करायी जायेगी, फर्म द्वारा उसका प्रारूप तैयार कर शैक्षणिक अनुभाग एवं संबंधित संयोजक से प्रमाणित करवाकर अंतिम रूप से उसका मुद्रण किया जायेगा।

2. पाठ्यक्रम मुद्रण के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये प्रारूप अनुसार मुद्रण किया जायेगा, फर्म को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को जो विषयवार होंगे, उनका समावेश कर इकजाई पाठ्यक्रम तैयार करना होगा।

3. विश्वविद्यालय द्वारा संयोजकों एवं पाठ्यक्रम मुद्रण के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी की सूचना फर्म को दी जायेगी। फर्म को अपने स्तर पर उनसे समन्वय स्थापित कर मुद्रण कार्य समयबद्ध करना होगा। समयबद्ध कार्य ना होने एवं शैक्षणिक अनुभाग व संयोजक से प्रमाणित ना होने पर पाठ्यक्रम स्वीकार्य नहीं होगा।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

विभिन्न प्रपत्रों, लिफाफों तथा पाठ्यक्रम के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा की तकनीकी व सामान्य शर्तें

टिप्पणीः निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लें और अपनी निविदाएं भरते समय इनका कठोरता से पालन करें।

1. धरोहर राशि, निविदा शुल्क तथा ई–प्रक्रिया शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।
 (ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह/वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
3. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, जीएसटी के साथ समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।
4. विधिमान्यताः– निविदाएं खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी। जो कि नियमानुसार बढाई भी जा सकती है।
5. निविदादाता द्वारा फर्म/फैक्ट्री/मील/प्रेस में कार्यरत/नियोजित श्रमिकों के गत छः माह का नियमानुसार निर्धारित प्रतिशत में जमा कराये गये, ईपीएफ व ईएसआई चालानों की प्रति तकनीकी बिड के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले मालके संबंध में समस्त शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राईंग्स आदि का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग या विनिर्देश ड्राईंग आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
7. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्पूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।
8. विनिर्देशः:–
 i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप में अभिकथित, विनिर्देश ट्रेडमार्क के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।
 ii. वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामलें में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोतम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।
 iii. वारंटी/गारंटीः– निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख सेदिन/माल की कालावधि हेतु माल/ भण्डार/वस्तुएं निविर्दिष्ट किए गए के अनुंसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण /तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त दिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होगें। निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविश्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविश्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

9. निरीक्षणः–
 i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
 ii. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ठ हुए है उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।
10. नमूनेः– अनुसूची के भीतर अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के समुचित रूप से पैक किए गए नमूनों के दो संघ होंगे।
11. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चों पर लिखकर टिकाउ कागज पर लिखकर नमूनें पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।
12. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि तक निःशुल्क रखे जायेंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनो के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट–फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
13. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
14. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवशयक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।
15. नमूने लिए जाना– परीक्षण के मामलें में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी की उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
16. परीक्षण व्यय– परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं है तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
17. अस्वीकृत किया जानाः'–
 i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
 ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
18. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे।
19. निविदादाता इस बात हेतु दायी होना कि वह समुचित पैंकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेशित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके। किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेशित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
20. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
21. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।

22. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी।
 i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेशा मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
 ii. यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तुत का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

23. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेपः–
 i. **सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी।**
 ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
 iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराई जावेगी। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोशजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरूद्ध कोई देयता बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी।

(ब)
 i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।
 ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।
 iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।
 (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
 (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
 (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

24. अ. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।
 ब. उस माल के प्रकरण मं संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देया के अनुरूप पाए जाएं।

25. शर्ते :–
 i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।
 ii. निर्धारित नुकसान–निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।
 iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 2.5 प्रतिशत
 (ख) विहित कालावधि के एक चौथाइ से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत
 (ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत
 (घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत
 iv. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो
 v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी।

vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं।

vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढाया जा सकेगा।

26. वसुलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोशजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी। यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
27. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
28. निविदादाता करार के निश्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
 i. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
 ii. यदि फर्म फर्मो के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरणप क्रमांक और रजिस्ट्रीकारण का वर्ष
 iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक
 iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।
29. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदिप्त किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिश्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं।
31. दर संविदा के अनुसार प्रतिनग/प्रति सैट/प्रति किलो आदि की दर अंकित करें ताकि सामग्री आवश्यकतानुसार मंगवाई जा सकें।
32. निविदा की शर्तो एवं नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कागजों पर छपाई कर आपूर्ति की जावेगी।
33. निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वितिय बिड इसी साइट पर उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी हेागी। वित्तिय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है। भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
34. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व sppp पोर्टल पर निविदा अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है। निविदा प्रपत्र ई–प्रोक्यूरमेन्ट पर अपलोड किए जाने है।
35. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
36. **<u>निविदादाता निविदा भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि यदि उनकी फर्म बीकानेर शहर से बाहर की है तो निविदा में अनुमोदित होने के उपरान्त अनुबंध करने से पूर्व उनके द्वारा बीकानेर शहर में समस्त आपूर्ति हेतु कार्यस्थल खोलना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल खोलने के पश्चात् विश्वविद्यालय में सूचना मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</u>**

36. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में उल्लेखित मुद्रण सामग्री के निर्धारण नमूने तकनीकी परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नमूनों का परीक्षण गुणवत्ता, कागज, मुद्रण, फिनिशिंग, रंग, आकार एवं अन्य तकनीकी मानकों के आधार पर किया जाएगा।

37. सफल निविदादाता के तकनीकी रूप से अनुमोदित नमूने विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध/दर अनुबंध (Rate Contract) की अवधि समाप्त होने तक संदर्भ (Reference Sample) एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय की अभिरक्षा (Custody) में सुरक्षित रखे जाएंगे। आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता, विनिर्देश एवं मुद्रण का मिलान आवश्यकतानुसार उक्त अनुमोदित नमूनों के आधार पर किया जाएगा।

38. अनुबंध अवधि समाप्त होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध पूर्ण घोषित किए जाने के पश्चात, यदि सफल निविदादाता 30 दिवस के भीतर लिखित आवेदन प्रस्तुत करता हैं, तो विश्वविद्यालय की आवश्यकता न होने की स्थिति में नमूने उसे वापस किए जा सकेंगे। अन्यथा विश्वविद्यालय को ऐसे नमूनों का अभिलेखीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखने अथवा नियमानुसार निस्तारित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

39. निविदा में सम्मिलित प्रत्येक मद (Item) का मूल्यांकन पृथक–पृथक किया जाएगा तथा संबंधित मद के लिए न्यूनतम दर (Item-Wise L-1) प्रस्तुत करने वाले पात्र एवं उत्तरदायी निविदादाता एल–01 पाए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय संबंधित मदों के कार्यादेश पृथक पृथक निविदादाताओं को जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय हित में किसी एक, एकाधिक अथवा सभी मदों का कार्यादेश एक अथवा एकाधिक निविदादाताओं को जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं तथा इस संबंध में विश्वविद्याललय का निर्णय अंतिम एवं सभी निविदादाताओं पर बाध्यकारी होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :
तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद एवं पताः कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जैसलमेर रोड, बीकानेर।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद एवं पताः शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर।

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी केा, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिश्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पश्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिश्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

 परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः
 परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिश्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा।
 अर्थातः
 कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
 ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
 ग. यह विनियक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
 घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्वकरण
 ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

4. **अपील का प्ररूप.–**
 (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.
(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :.....
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
.....
.....
.....
..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)
भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)
7. प्रार्थना :
.....
.....
स्थान :
तारीख :
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–**

उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता द्वारा "समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं" का दिये जाने वाला शपथ पत्र :

मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का पूर्णतः अध्ययन कर, समझ लिया गया हैं, एवं मुझे समस्त शर्तें स्वीकार्य है। मैं यह सब कार्य पूर्ण होश–हवास एवं पूरी जानकारी प्राप्त करके कर रहा हूं और यह सनद रहे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अपूर्ण घोषणा/त्रुटि पाई जाती हैं अथवा मेरे द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो मेरी फर्म पूर्णतया जिम्मेदार होगी, जिसके लिए वैधानिक कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं दिनांक

रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निविदादाता द्वारा दिये जाने वाला नॉन ब्लैकलिस्ट का शपथ पत्र :

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरी फर्म किसी भी राजकीय कार्यालय, उपक्रम, स्वायत्तषाशी संस्थाओं, निगम, बोर्ड इत्यादि में ब्लैक लिस्ट नहीं हैं, ना ही मेरी फर्म पर कोई वैधानिक कार्यवाही विद्यमान हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं दिनांक